

ASRO (K) OFFICE

Reg. No. 628

Date:

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संखनक्र: दिनांक: 07 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 24679/2015 (सिविल अपील संख्या: 001838/2018) सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 16.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1/336700/2023 दिनांक 21.06.2023 द्वारा सहायक रेडियो अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित कर आपत्तियां मांगी गयी।

2- 02 अधिकारियों श्री सुनील कुमार शुक्ला, उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) व श्री महेन्द्र सिंह, अपर राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 23.06.2023 एवं 28.06.2023 द्वारा अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। 02 अधिकारियों सर्व श्री सुशील पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) तथा रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अपर राज्य रेडियो अधिकारी की आपत्तियां क्रमशः दिनांकित 26.06.2023 एवं 26.06.2023 प्राप्त हुई हैं। शेष अन्य अधिकारियों की कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3- उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3258/6-पु-1-13-1300(18)/1999 दिनांक 25.10.2013 द्वारा चयन वर्ष 1995-96 में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही स्रोतों से चयनित/नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों की कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2013 द्वारा पारस्परिक निर्धारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 24679/2015 (सिविल अपील संख्या: 001838/2018) सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में सुनवाई करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.01.2023 को जो निर्णय/आदेश पारित किया गया है, उसके कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:-

"

16. As regards the manner in which the names of the superannuated and dead officers were to be dealt with, the High Court in its judgment delivered on 12th September 2012 has already given its findings and directions. Those directions having attained finality, we are not taking any decision in respect of that part of the controversy.

17. We, accordingly, hold and direct that the seniority of the candidates including the

SRO(A)
10/1/23
URGENT AND आवश्यक/समयबद्ध
11/11/2023

URGENT AND आवश्यक ही

11/11/2023

ADDL SRO (K) RHQ

10-7-23

11/11/2023
We hold and direct that the seniority of the candidates including the

appellants should be determined treating the entry into the cadre of both sets of candidates (i.e. promotees and direct recruits) on 30th January 1996 and the seniority position should be recast on that basis. We issue this direction invoking our 16 jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. On the question of intra-stream seniority, the provision of Rule 22 shall be followed. In the recast list, however, the position for the posts left vacant on death of dead or superannuated officers shall be treated as fresh vacancies and filled up through fresh selection process.

18. In the event any incumbent, whether superannuated or not at present, has already enjoyed career related benefit as per the seniority position made in terms of the judgment delivered on 22nd July 2014 they shall not be disturbed, having regard to the long time-gap between the origin of the dispute and its conclusion by this judgment. But any officer holding the subject-post, who would have derived career improvement from the recast seniority list shall be given such benefits. For those superannuated, notional benefits shall be given.

19. The judgment under appeal shall stand modified accordingly, and the appeal shall stand disposed in the above terms.

20. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

4- इस सम्बन्ध में सूच्य है कि चयन वर्ष 1995-96 में उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारी के सीधी भर्ती तथा पदोन्नति कोटे के पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग उ० प्र० में सम्पन्न हुई थी। तदनुसार चयन वर्ष 1995-96 में उपरोक्तानुसार पदोन्नति तथा सीधी भर्ती दोनों स्रोतों से चयनित/नियुक्त अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6512/6-पु-1-99-1300(24)/1998 दिनांक 10 दिसम्बर 1999 द्वारा जारी की गयी थी।

उक्त ज्येष्ठता सूची को पदोन्नति कोटे के सहायक रेडियो अधिकारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या: 10(एस/बी)/2000 सै० जिया अब्बास रिजवी एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या: 71.1(एस/बी)/2002 छत्रपाल सिंह एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। इसी प्रकार सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या: 104(एस/बी)/2000 ज्ञाम निवास सिंह एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी।

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में उपरोक्तानुसार योजित रिट याचिकाओं को निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2012 द्वारा निस्तारित करते हुए मुख्य रूप से निम्न आदेश पारित किये गये:-

" In the facts of this case, the vacancies were relating to different years and vacancies were to be filled up by a common requisition with regard to direct recruits and the promotees, therefore, the selection made by the commission was made in a particular year for vacancies of different years. Before issuing appointment to the promotee officers, the recommendations regarding direct recruits were also lying with

the respondents and no explanation could be furnished by learned counsel for the respondents as to why compliance of Section 17 was not made and appointment letters for promotees were issued. Therefore, the compliance of Section 17, in our considered opinion, was necessary and only after preparing the combined select list, the appointment ought to have been made and seniority was to be determined in accordance with Rule 22 of the Rules, that has not been done in the present case.

The other blunder that has been committed is that the names of the superannuated/dead officers were removed from the seniority list and in their place the other promotee officers were pushed up, this exercise is absolutely unheard in the service jurisprudence. This mistake, by itself, made the seniority list unsustainable under law. If this exercise of the respondents is permitted to prevail, then it would result in great injustice to the officers who on their merit join the services at an early age because in that situation, the officers who were senior to them and are older in age shall stand superannuated and in their place the officers who are junior to them shall be pushed up, making them juniors to officers, who were subsequently appointed or were appointed in the vacancies of the following years. The vacancies so fallen by the superannuation or by the death of the officers were to be filled up by way of fresh selection process, therefore, the impugned seniority list is unsustainable under law and deserves to be quashed.

Hence these petitions are hereby disposed of in the following terms.

The impugned seniority list dated 07.12.1999 is hereby quashed. The respondents are directed to circulate a tentative seniority list in accordance with rules and after inviting objections and disposing of the same by a reasoned and speaking orders the final seniority list shall be prepared. Since the matter is very old, therefore, this entire exercise shall be completed within a period of three months from today and only thereafter the matter for promotion shall be considered.

With the aforesaid directions all these writ petitions are hereby accordingly disposed of."

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2012 एवं संशोधित निर्णय/आदेश दिनांक 26.09.2012 के अनुपालन में कायदालय ज्ञाप संख्या: 3258/6-पु-1-13-1300(18)/1999 दिनांक 25.10.2013 द्वारा चयन वर्ष 1995-96 में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही स्रोतों से चयनित/नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया गया:-

क्र	रिक्ति वर्ष	नाम	भर्ती का स्रोत	वर्तमान प्रस्थिति	टिप्पणी
0	सं०				
1	1990-91	श्री ब्रह्मानन्द सक्सेना	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त

2	श्री मयंक भित्तल	सी0 भर्ती	ज्वाइन नहीं किए	-
3	श्री चन्द्र जंग थापा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
4	श्री सुनील कुमार शुक्ला	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
5	श्री डूंगर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
6	श्री राघवेंद्र कुमार द्विवेदी	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
7	श्री अशोक कुमार पदो0 श्री वास्तव	पदो0	सेवानिवृत्त	-
8	श्रीमती अजुल गंगवार	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
9	श्री सुरेश चन्द्र कुशवाहा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
10	श्री रवीन्द्र सिंह	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
11	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
12	श्री राम निवास सिंह पादव	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
13	श्री इन्द्र नारायण मिश्रा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
14	श्री राजेंद्र कुमार	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
15	श्री रमेश कुमार सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	-
16	श्री अखिलेश चन्द्र सक्सेना	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
17	श्री गण प्रसाद पाण्डेय	पदो0	सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व मृत
18	श्री लक्ष्मण सिंह	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
19	श्री राज किशोर राय	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
20	श्री विनोद कुमार सिंह	सी0 भर्ती	कार्यरत	-

21	1991-92	श्री नृपेन्द्र दत्त नौदियाल	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
22		श्री बाबू राम यादव	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
23	1991-92	श्री मोहन पन्त	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
24		श्री अमित राज	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
25	1991-92	श्री चन्द्र किरण शर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
26		श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्रीसी0 भर्ती भुरू सिंह	पदो0	मृत	-
27	1991-92	श्री मोहन राम लोहार	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
28		श्री देशराज	सी0 भर्ती	ज्वाइन नहीं किया	-
29	1991-92	श्री उदय सिंह पाल	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
30		श्री अखिलेश कुमार	सी0 भर्ती	ज्वाइन नहीं किए	-
31	1991-92	श्री ललित सिंह मर्तोल्या	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
32		श्री जगत राम	सी0 भर्ती	उत्तराखण्ड	-
33	1992-93	श्री जीवन चन्द्र जोशी	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
34		श्री सुखवीर	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
35	1992-93	श्री शम्भू नाथ भारती	पदो0	सेवानिवृत्त	-
36		श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी	सी0 भर्ती	कार्यरत	-
37	1992-93	श्री राम गोपाल सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
38		श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्रीसी0 भर्ती धरम सिंह	पदो0	कार्यरत	-
39	1992-	श्री नवीन चन्द्र पंत	पदो0	सेवानिवृत्त	-

93								
40	श्री संत बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त				
41	श्री भुवन चन्द्र लोहनी	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
42	श्री राजेन्द्र पाल वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
43	श्री गुरुहरन लाल	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
44	श्री भवान सिंह विष्ट	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
45	श्री सुखलाल कुरील	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
46	श्री प्यारे लाल टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
47	श्री रंग बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त					-तदैव-
48	श्री रमेश चन्द्र	पदो0	कार्यरत					
49	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव	पदो0	कार्यरत					
50	श्री से0 जिया अब्बास रिजवी	पदो0	कार्यरत					
51	श्री रमेश चन्द्र प्राण्डेय	पदो0	मृत	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व मृत				
52	श्री सुशील पाण्डेय	पदो0	कार्यरत					
53	श्री गोविन्द बिहारी सिन्हा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त				
54	श्री टीकाराम वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त					
55	श्री बहादुर राम टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त				
56	श्री छत्रपाल सिंह	पदो0	कार्यरत					
57	श्री भुवाल राम	पदो0	कार्यरत					
58	श्री अनिल कुमार पंत	पदो0	उत्तराखण्ड					

59	1994-95	श्री गुलाम मोहम्मद (बन्धुपदो0 कवर)	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
60	1994-95	श्री नफीस अहमद चैधरी पदो0	कार्यरत	∴ -
61	1994-95	श्री द्वारिका प्रसादपदो0 उपाध्याय	सेवानिवृत्त	-
62	1994-95	श्री राज कुमार सिंह पदो0	कार्यरत	-

शासन के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2013 द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता सूची को पदोन्नत कोटे के सहायक रेडियो अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0: 1619/2013(एस/बी) सं0 जिया अब्बास रिजवी एवं अन्य वरनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचीगणों की उक्त संदर्भित रिट याचिका निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2014 द्वारा डिसमिस कर दी गयी।

तदुपरान्त पदोन्नत कोटे के सहायक रेडियो अधिकारियों सर्वश्री सुशील पाण्डेय एवं श्री रमेश चन्द्र द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2013 द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या: 1619/2013(एस/बी) सं0 जिया अब्बास रिजवी एवं अन्य- बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2014 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 24679/2015 (सिविल अपील संख्या: 001838/2018) सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निस्तारित करते हुए निर्णय/आदेश दिनांक 16.01.2023 पारित किया गया है।

5- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) में सहायक रेडियो अधिकारी के पदों को भरने की निम्नवत् व्यवस्था है:-

15- सीधी मर्ती की प्रक्रिया-आयोग चयन के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित करेगा, जिसे आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये ऐसे अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसाकि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा

मांखिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में प्रकट हो, तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योज्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या शिक्तियों की संख्या से अधिक होगी, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग सूची को न्युक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16- पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सहायक रेडियो अधिकारी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

(2).....:

17- संयुक्त चयन सूची- यदि न्युक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की गयी हो तो, एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम - नियम-15 और नियम-16 के अधीन तैयार की गयी सूची से ऐसी रीति से लिये जायेंगे कि सीधी भर्ती और पदोन्नति का विहित प्रतिशत बना रहे, पहला नाम नियम-16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

22- ज्येष्ठता- किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" के अनुसार अवधारित की जायेगी।

6- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या: 1838/2018 सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 16-01-2023 में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर पदोन्नत तथा सीधी भर्ती दोनों ही स्रोतों से चयनित/नियुक्त अधिकारियों की सेवा संवर्ग में न्युक्ति की तिथि 30 जनवरी 1996 निर्धारित की गयी है। तत्कम में चयन वर्ष 1995-96 में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती दोनों स्रोतों से चयनित/नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस रेडिया सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के नियम-15, नियम-16, नियम-17 में विहित प्रक्रिया और नियम-22 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रख्यापित की गयी। इसमें सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त श्री मयंक मित्तल, श्री देशराज एवं श्री अखिलेश कुमार, जिनके द्वारा न्युक्ति आदेश जारी होने के पश्चात रेडियो विभाग में ज्वाईन नहीं किया गया था। अतः उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के नियम-22 (ज्येष्ठता) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार इनके द्वारा अपनी ज्येष्ठता खो देने के फलस्वरूप इन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री जगत राम (सीधी भर्ती) एवं श्री अनिल कुमार पन्त (पदोन्नत), जो उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड चले जाने के फलस्वरूप श्री जगत राम (सीधी भर्ती) एवं श्री अनिल कुमार पन्त (पदोन्नत) को भी अनन्तिम ज्येष्ठता

सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः उक्त के क्रम में समेकित रूप से निम्नानुसार अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.06.2023 प्रख्यापित की गयी:-

चयन वर्ष 30-01-1996 (मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित बैच 1996)

क्र 0 सं0	नाम	भर्ती का स्रोत	वर्तमान प्रास्थिति	टिप्पणी
1	श्री ब्रह्मानन्द सक्सेना	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
2	श्री सुनील कुमार शुक्ला	सी0 भर्ती	कार्यरत	
3	श्री चन्द्र जंग थापा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
4	श्री राघवेंद्र कुमार द्विवेदी	सी0 भर्ती	कार्यरत	
5	श्री डूंगर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
6	श्रीमती अंजुल गंगवार	सी0 भर्ती	कार्यरत	
7	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	पदो0	सेवानिवृत्त	
8	श्री रवीन्द्र सिंह	सी0 भर्ती	कार्यरत	
9	श्री सुरेश चन्द्र कुशवाहा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
10	श्री राम निवास सिंह यादव	सी0 भर्ती	कार्यरत	
11	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
12	श्री राजेंद्र कुमार	सी0 भर्ती	कार्यरत	
13	श्री इन्द्र नारायण मिश्रा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
14	श्री अखिलेश चन्द्र सक्सेना	सी0 भर्ती	कार्यरत	
15	श्री. रमेश कुमार सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	
16	श्री लक्ष्मण सिंह	सी0 भर्ती	कार्यरत	

17	श्री गया प्रसाद पाण्डेय	पदो0	सेवानिवृत्ति से पूर्व पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व मृत
18	श्री विनोद कुमार सिंह	सी0 भर्ती	-
19	श्री राज किशोर राय	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
20	श्री बाबू राम यादव	सी0 भर्ती	-
21	श्री नृपेन्द्र दत्त नौटियाल	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
22	श्री अमित राज	सी0 भर्ती	-
23	श्री मोहन पन्त	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
24	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भुरुसी0 भर्ती सिंह	मृत	-
25	श्री चन्द्र किरण शर्मा	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
26	श्री सुखवीर	सी0 भर्ती	-
27	श्री मोहन राम लोहार	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
28	श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी	सी0 भर्ती	-
29	श्री उदय सिंह पाल	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
30	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरमसी0 भर्ती सिंह	कार्यरत	-
31	श्री ललित सिंह मर्तोलिया	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
32	श्री जीवन चन्द्र जोशी	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
33	श्री शम्भू नाथ भारती	पदो0	-
34	श्री राम गोपाल सिंह	पदो0	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त

35	श्री नवीन चन्द्र पंत	पदो0	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	
36	श्री संत बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त	
37	श्री भुवन चन्द्र लोहनी	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
38	श्री राजेन्द्र पाल वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
39	श्री गुरुचरन लाल	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
40	श्री भवान सिंह विष्ट	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
41	श्री सुखलाल कुरील	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
42	श्री प्यारे लाल टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
43	श्री रंग बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
44	श्री रमेश चन्द्र	पदो0	सेवानिवृत्त		-तदैव-
45	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव	पदो0	मृत		
46	श्री सै0 जिया अब्बास रिजवी	पदो0	सेवानिवृत्त		
47	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	पदो0	मृत		
48	श्री सुशील पाण्डेय	पदो0	सेवानिवृत्त		
49	श्री गोविन्द बिहारी सिन्हा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त	
50	श्री टीकाराम वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त		
51	श्री बहादुर राम टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त	
52	श्री छत्रपाल सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त		
53	श्री भुवाल राम	पदो0	सेवानिवृत्त		
54	श्री गुलाम मोहम्मद (बन्धु कवर)	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त	
55	श्री नफीस अहमद चौधरी	पदो0	सेवानिवृत्त		
56	श्री द्वारिका प्रसाद उपाध्याय	पदो0	सेवानिवृत्त		
57	श्री राज कुमार सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त		

I/345807/2023

- 7- प्रश्नगत प्रकरण में उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार सक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध 02 अधिकारियों श्री सुनील कुमार शुक्ला, उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) व श्री महेन्द्र सिंह, अपर राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 23.06.2023 एवं 28.06.2023 द्वारा अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। 02 अधिकारियों श्री सुशील पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) तथा श्री रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अपर राज्य रेडियो अधिकारी की आपत्तियां क्रमशः दिनांकित 26.06.2023 एवं 26.06.2023 प्राप्त हुई हैं। शेष अन्य अधिकारियों की कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
- 8- प्राप्त आपत्तियों में श्री सुशील पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) तथा रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अपर राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा मुख्यरूप से निम्नलिखित तथ्य अंकित करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने की बात कही गयी है:-

The tentative seniority list dt. 21.06.2023 is not in accordance with the direction/conditions as,

- (i) those persons/officers who have already superannuated /retired prior to 31.01.1996 that is names mentioned in Serial Number 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 54 have been erroneously included in the seniority list.
- (ii) That Rule 17 of the Uttar Pradesh Police Radio Service, Rules. 1979 has not been strictly followed while preparing the tentative seniority list dt. 21.06.2023
- (iii) Shri Jagat Ram (Direct) and Shri Anil Kumar Pant (Promotee) transferred to State of Uttarakhnad has been erroneously been removed from the list of seniority.

In view of the above, the Correct Seniority List in term of the direction of the Hon'ble Supreme Court judgment dt. 16.01.2023 ought to be-

- 1- Shri Ashok Kumar Srivastava (Promotee)
- 2- Shri Sunil Kumar Shukla (Direct)
- 3- Shri Ramesh Kumar Singh (Promotee)
- 4- Shri Raghendra Kumar Dwivedi (Direct)
- 5- Shri Shambhu Nath Bharti (Promotee)
- 6- Smt. Anjul Gangwar (Direct)
- 7- Shri Navin Chandra Pant (Promotee)
- 8- Shri Ravidra Singh (Direct)
- 9- Shri Pyare Lal Tamta (Promotee)
- 10- Shri Ram Niwas Singh Yadav (Direct)
- 11- Shri Ramesh Chandra (Promotee)
- 12- Shri Rajendra Kumar (Direct)
- 13- Shri Kamal Kumar Srivastava (Promotee)
- 14- Shri Akhilesh Chandra Saxena (Direct)

- 15- Shri Syed Zia Abbas Rizvi (Promotee)
- 16- Shri Laxman Singh (Direct)
- 17- Shri Sushil Pandey (Promotee)
- 18- Shri Vinod Kumar Singh (Direct)
- 19- Shri Tika Ram Verma (Promotee)
- 20- Shri Babu Ram Yadav (Direct)
- 21- Shri Chhatra Pal Singh (Promotee)
- 22- Shri Amit Raj (Direct)
- 23- Shri Bhuwal Ram (Promotee)
- 24- Shri Mahendra Singh s/o Shri Bhure Singh (Direct)
- 25- Shri Anil Kumar Pant (Promotee) Uttarakhnad
- 26- Shri Jagat Ram (Direct) Uttarakhnad
- 27- Shri Nafis Ahmad Chaudhary (Promotee)
- 28- Shri Sukhvir (Direct)
- 29- Shri Dwarka Prasad Upadhaya (Promotee)
- 30- Shri Surendra Kumar Rastogi (Direct)
- 31- Shri Raj Kumar Singh (Promotee)
- 32- Shri Mahendra Singh s/o Shri Dharam Singh (Direct)

9- श्री सुशील पाण्डेय तथा श्री रमेश चन्द्र द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आपत्तियों में अंकित तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के सापेक्ष उसका सम्यक् परीक्षण किया गया। परीक्षण से यह पाया गया कि चयन वर्ष 1995-96 में उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों स्रोतों से नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6512/6-पु-99-1300(24)/1998 दिनांक 10 दिसम्बर 1999 द्वारा निर्धारित की गयी थी जिसमें पदोन्नति आदेश निर्गत होने से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत अधिकारियों का नाम नहीं रखा गया था। उक्त ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध पदोन्नति कोटे के अधिकारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या: 10 (एस/बी)2000 से० जिया अब्बास रिजवी एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों द्वारा रिट याचिका संख्या: 104(एस/बी)2000 राम निवास सिंह एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी।

10- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार योजित रिट याचिकाओं को निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2012 द्वारा निस्तारित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 दिसम्बर 1999 द्वारा निर्धारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए मुख्यरूप से निम्न कार्यकारी आदेश परित्त किये गये:-

"The other blunder that has been committed is that the names of the superannuated/dead officers were removed from the seniority list and in their place the other promotee officers were pushed up, this exercise is absolutely unheard in the service jurisprudence. This mistake, by itself, made the seniority list unsustainable under law. If this exercise of the respondents is permitted to prevail, then it would result in great injustice to the officers who on their merit join the services at an early age because in that situation, the officers who were senior to them and are older in age shall stand superannuated and in their place the officers who are junior to them shall be pushed up, making them juniors to officers, who were subsequently appointed or were appointed in the vacancies of the following years. The vacancies so fallen by the superannuation or by the death of the officers were to be filled up by way of fresh selection process, therefore, the impugned seniority list is unsustainable under law and deserves to be quashed.

Hence these petitions are hereby disposed of in the following terms.

The impugned seniority list dated 07.12.1999 is hereby quashed. The respondents are directed to circulate a tentative seniority list in accordance with rules and after inviting objections and disposing of the same by a reasoned and speaking orders the final seniority list shall be prepared. Since the matter is very old, therefore, this entire exercise shall be completed within a period of three months from today and only thereafter the matter for promotion shall be considered.

With the aforesaid directions all these writ petitions are hereby accordingly disposed of."

- 11- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12.09.2012 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3258/6-पु-1-13-1300(18)/1999 दिनांक 25 अक्टूबर 2013 द्वारा चयन वर्ष 1995-96 में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही स्रोतों से चयनित/नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी जिसके विरुद्ध पदोन्नति कोटे के अधिकारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या: 1619/2013 (एस/बी) सं० जिया अब्बास रिजवी एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2014 द्वारा डिसमिस कर दी गयी।
- 12- उक्त के पश्चात पदोन्नत कोटे के अधिकारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2014 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 25 अक्टूबर 2013 द्वारा निर्धारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 24679/2015 (सिविल अपील संख्या: 001838/2018) सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी जिसे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत करते हुए दिनांक 16.01.2023 को पारित

निर्णय/आदेश के बिन्दु-16 में निम्नवत् अवधारित किया गया है:-

16. As regards the manner in which the names of the superannuated and dead officers were to be dealt with, the High Court in its judgment delivered on 12th September 2012 has already given its findings and directions. Those directions having attained finality, we are not taking any decision in respect of that part of the controversy.

13- उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय, द्वारा निर्धारित सिविल अपील संख्या: 1838/2018 सुशील पाण्डेय एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 16.01.2023 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 21.06.2023 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध पदोन्नत कोटे के अधिकारियों श्री सुशील पाण्डेय एवं श्री रमेश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:-

(1) प्रख्यापित की जा रही अन्तिम ज्येष्ठता सूची में मृतक/सेवानिवृत्त कार्मिकों को न रखे जाने सम्बन्धी आपत्ति पोषणीय एवं ग्राह्य नहीं है, क्योंकि इससे आपत्तिकर्ताओं की ज्येष्ठता व अन्य सेवा लाभों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तथा प्रख्यापित की जा रही ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2012 एवं दिनांक 22.07.2014 के अनुसार एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 001838/2018 में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2023 में वर्ष 30.01.1996 (मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित बैच 1996) की स्थिति के अनुसार ही मृतक/सेवानिवृत्त कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। अंतः उक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

(2) उक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा श्री अनिल कुमार पंत तथा श्री जगत राम, जो उत्तराखण्ड में चले गये हैं, को भी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान न दिये जाने पर आपत्ति की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यद्यपि श्री अनिल कुमार पंत तथा श्री जगत राम द्वारा इस हेतु कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी है। श्री अनिल कुमार पंत तथा श्री जगत राम जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड जा चुके हैं, के चयन वर्ष 30.01.1996 (मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित बैच 1996) में उत्तर प्रदेश में होने की स्थिति में इन्हें अन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया जा रहा है, यद्यपि इससे आपत्तिकर्ताओं की ज्येष्ठता व अन्य सेवा लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राप्त सनस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुपालन में सम्यक्

विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के नियम-17 में निर्दिष्ट व्यवस्था एवं नियम-22 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में चयन वर्ष 1996 (मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित बैच 1996) में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा चयनित सहायक रेडियो अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

चयन वर्ष 30-01-1996 (मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित बैच 1996)

क्र० सं०	नाम	भर्ती का स्रोत	वर्तमान प्रास्थिति	टिप्पणी
1	श्री ब्रह्मानन्द सक्सेना	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
2	श्री सुनील कुमार शुक्ला	सी० भर्ती	कार्यरत	
3	श्री चन्द्र जंग थापा	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
4	श्री राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी	सी० भर्ती	कार्यरत	-
5	श्री डूंगर सिंह	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
6	श्रीमती अंजुला गंगवार	सी० भर्ती	कार्यरत	-
7	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	पदो०	सेवानिवृत्त	-
8	श्री रवीन्द्र सिंह	सी० भर्ती	कार्यरत	-
9	श्री सुरेश चन्द्र कुशवाहा	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
10	श्री राम निवास सिंह यादव	सी० भर्ती	कार्यरत	-
11	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
12	श्री राजेन्द्र कुमार	सी० भर्ती	कार्यरत	-
13	श्री इन्द्र नारायण मिश्रा	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त

14	श्री अखिलेश चन्द्र सक्सेना	सी० भर्ती	कार्यरत	-
15	श्री रमेश कुमार सिंह	पदो०	सेवानिवृत्त	-
16	श्री लक्ष्मण सिंह	सी० भर्ती	कार्यरत	-
17	श्री गया प्रसाद पाण्डेय	पदो०	सेवानिवृत्ति से पूर्व पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व मृत	-
18	श्री विनोद कुमार सिंह	सी० भर्ती	कार्यरत	-
19	श्री राज किशोर राय	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
20	श्री बाबू राम यादव	सी० भर्ती	कार्यरत	-
21	श्री नृपेन्द्र दत्त नौटियाल	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
22	श्री अमित राज	सी० भर्ती	कार्यरत	-
23	श्री मोहन पन्त	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
24	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शुरु सी० भर्ती सिंह	सी० भर्ती	मृत	-
25	श्री चन्द्र किरण शर्मा	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
26	श्री जगतराम	सी० भर्ती	उत्तराखण्ड	-
27	श्री मोहन राम लोहार	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
28	श्री सुखवीर	सी० भर्ती	कार्यरत	-
29	श्री उदय सिंह पाल	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
30	श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी	सी० भर्ती	कार्यरत	-
31	श्री ललित सिंह मर्तोलिया	पदो०	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
32	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरम सी० भर्ती सिंह	सी० भर्ती	कार्यरत	-

I/345807/2023

33	श्री जीवन चन्द्र जोशी	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
34	श्री शम्भू नाथ भारती	पदो0	सेवानिवृत्त	-
35	श्री राम गोपाल सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
36	श्री नवीन चन्द्र पंत	पदो0	सेवानिवृत्त	-
37	श्री संत बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
38	श्री भुवन चन्द्र लोहनी	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
39	श्री राजेन्द्र पाल वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
40	श्री गुरुचरन लाल	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
41	श्री भवान सिंह विष्ट	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
42	श्री सुखलाल कुरील	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
43	श्री प्यारे लाल टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त	-तदैव-
44	श्री रंग बहादुर सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	-
45	श्री रमेश चन्द्र	पदो0	सेवानिवृत्त	-
46	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव	पदो0	मृत	-
47	श्री सै0 जिया अब्बास रिजवी	पदो0	सेवानिवृत्त	-
48	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	पदो0	मृत	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व मृत
49	श्री सुशील पाण्डेय	पदो0	सेवानिवृत्त	-
50	श्री गोविन्द बिहारी सिन्हा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
51	श्री टीकाराम वर्मा	पदो0	सेवानिवृत्त	-
52	श्री बहादुर राम टमटा	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
53	श्री छत्रपाल सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	-
54	श्री भुवाल राम	पदो0	सेवानिवृत्त	-
55	श्री अनिल कुमार पंत	पदो0	सल्लराखण्ड	-

56	श्री गुलाम मोहम्मद (बन्दमचो0 कवर)	पदो0	सेवानिवृत्त	पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त
57	श्री नफीस अहमद चौधरी	पदो0	सेवानिवृत्त 2024	-
58	श्री झरिका प्रसाद उपाध्याय	पदो0	सेवानिवृत्त 2024	-
59	श्री राज कुमार सिंह	पदो0	सेवानिवृत्त	-

Signed by संजय प्रसाद

Date: 07-07-2023 18:16:49

Reas(संजयप्रसाद)

प्रमुख सचिवा

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ (1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ✓ (2) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उ० प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
- ✓ (3) अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ० प्र० लखनऊ।
- ✓ (4) Mr. Gaichangpou Gangmei, Advocate on Record, Supreme Court of India को उनके पत्र दिनांक 25.04.2023 के संदर्भ में।
- ✓ (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार पाण्डेय)

अनु सचिवा